

## अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	राजस्थान पेट्रो जोन में डाउनस्ट्रीम उत्पादों संबंधी त्रिपक्षीय MoU
2.	राजस्थान में 'प्राचीन ग्रंथों एवं पाण्डुलिपियों के संरक्षण' का सर्वे
3.	राजस्थान खान विभाग का वर्ष 2026-27 के लिए राजस्व लक्ष्य
4.	कायलाना झील : वर्ल्ड क्लास इको-टूरिज्म हब के रूप में विकसित
5.	श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण)
6.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. भगवान परशुराम जयंती (राज्य स्तरीय समारोह) 2. सफाई सेवा मैराथन-2026 : जयपुर 3. 17 देशों के 43 प्रतिभागियों द्वारा राजस्थान विधान सभा का अवलोकन 4. डॉ. शुभब्रत मुखोपाध्याय 5. ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल (पुरुष) चैम्पियनशिप 2025-26
7.	हैंगिंग ग्लेशियर
8.	भारत विश्व अर्थव्यवस्था में छठे स्थान पर
9.	संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026
10.	मनोनीत सदस्य
11.	भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA)
12.	नदी बेसिन प्रबंधन (RBM) योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया
13.	निर्यात सुविधा के लिए लचीलापन और लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप (RELIEF)
14.	स्कारबोरो शोल
15.	फाइटोरिमेडिएशन
16.	राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य
17.	जैव-विविधता अधिनियम (BDA), 2002



## राजस्थान परिदृश्य



### राजस्थान पेट्रो जोन में डाउनस्ट्रीम उत्पादों संबंधी त्रिपक्षीय MoU



#### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, पचपदरा (बालोतरा) स्थित राजस्थान पेट्रो जोन में औद्योगिक इकाइयों को डाउनस्ट्रीम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए HPCL रिफाइनरी, राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा विभिन्न उद्योगों के मध्य 18 त्रिपक्षीय समझौतों (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।



#### मुख्य बिन्दु:

- इस पहल से राज्य में पेट्रोकेमिकल आधारित नए उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा, जिससे फार्मा और ऑटोमोबाइल सहित, विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन तथा सहायक उद्योगों को गति मिलेगी।

# Daily Current Affairs

Date : 20 April, 2026



- **डाउनस्ट्रीम उत्पाद** : रिफाइनरी में डाउनस्ट्रीम उत्पाद कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण से उत्पादित तैयार, विपणन योग्य वस्तुएँ हैं। इन उत्पादों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है : ईंधन उत्पाद और पेट्रोकेमिकल उत्पाद।

## प्रमुख डाउनस्ट्रीम उत्पाद :

- **परिवहन ईंधन** : गैसोलीन/पेट्रोल, डीजल तेल, विमानन जेट ईंधन और हीटिंग तेल।
- **पेट्रोकेमिकल्स** : नेफ्था, एथिलीन, प्रोपलीन और बेंजीन, जिनका उपयोग प्लास्टिक, उर्वरक, फार्मास्यूटिकल्स और सिंथेटिक रबर बनाने में किया जाता है।
- **औद्योगिक उत्पाद** : स्नेहक, मोम, डामर (बिटुमेन) और पेट्रोलियम कोक।
- **प्राकृतिक गैस उत्पाद** : लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG), इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन।

## अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :

- ज्ञातव्य है कि रिफाइनरी से निकलने वाले डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर आधारित सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए रिफाइनरी के पास ही 'राजस्थान पेट्रो जोन (RPZ)' विकसित किया गया है। इससे उद्यमी सीधे रिफाइनरी से कच्चा माल प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी।
- पचपदरा रिफाइनरी से 12 किमी दूर स्थित राजस्थान पेट्रो जोन अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 25 से जुड़ा हुआ है।

--3--





## मुख्य बिन्दु:

- राज्य ने 16 से 26 मार्च, 2026 तक 15.31 लाख से अधिक प्राचीन ग्रंथों का सर्वे कर यह उपलब्धि हासिल की। देश की कुल पांडुलिपियों का करीब 25 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में मौजूद है। राज्य में 13,81,009 पांडुलिपियाँ दर्ज हैं।
- राजस्थान में 16 मार्च, 2026 से प्राचीन ग्रंथों एवं पांडुलिपियों के सर्वेक्षण और संरक्षण के लिए व्यापक अभियान की शुरुआत की गई थी।
- यह पहल भारत सरकार के 'ज्ञान भारतम मिशन' के तहत संचालित की जा रही है।
- राज्यव्यापी सर्वेक्षण के तहत राज्य के पर्यटन, कला-साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा प्रदेश में प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों की खोज और सूचीकरण के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा।
- **मिशन का लक्ष्य** : दुर्लभ पांडुलिपियों का उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल डेटाबेस तैयार करना ताकि उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके।
- **राजस्थान पाण्डुलिपि सर्वे के लिए राज्य नोडल अधिकारी** : राजस्थान संस्कृत अकादमी की निदेशक डॉ. लता श्रीमाली।
- **मुख्य क्लस्टर केंद्र** : राजस्थान में 'ज्ञान भारतम मिशन' के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण और उनके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर को राज्य के मुख्य क्लस्टर केंद्र के रूप में नामित किया गया है।
- **नोट** : बीकानेर स्थित अभय जैन ग्रंथालय को राजस्थान का पहला आधिकारिक पांडुलिपि संरक्षण केंद्र घोषित किया गया है।

## फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

- **ज्ञान भारतम मिशन** : केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसकी घोषणा केन्द्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की विशाल हस्तलिखित विरासत (पांडुलिपियों) का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, संरक्षण और डिजिटलीकरण करना है।
- भारत की ज्ञान विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए 11 से 13 सितंबर, 2025 तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'पहला ज्ञान भारतम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन' आयोजित किया गया।

## राजस्थान खान विभाग का वर्ष 2026-27 के लिए राजस्व लक्ष्य

### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, राजस्थान खान विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए राजस्व संग्रहण का नवीनतम लक्ष्य निर्धारित किया गया।

Government of Rajasthan  
Mines Department  
Rajasthan

Rajasthan Mines Department's  
**REVENUE TARGET**

FOR 2026-27

REVENUE TARGET  
**₹14,001**  
CRORE

DRIVEN BY

- Sustainable Mining Growth**  
Promoting responsible and sustainable mining
- Transparent & Efficient Systems**  
Strengthening transparency, compliance and e-governance
- Ease of Doing Business**  
Facilitating investor-friendly policies and processes
- Optimized Resource Utilization**  
Maximizing the value of mineral resources
- Inclusive Growth for Rajasthan**  
Contributing to employment, infrastructure and overall development

खनिज संपदा  
समृद्ध राजस्थान

Strengthening Minerals. Enriching Rajasthan.

### मुख्य बिन्दु:

- नवीनतम लक्ष्य : विगत वित्त वर्ष की तुलना में 39 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ ₹14001 करोड़ है।
- वित्त वर्ष 2025-26 में संग्रहण : 13 प्रतिशत विकास दर के साथ ₹10394 करोड़।

## अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

- **प्री-एम्बेडेड ब्लॉकों की नीलामी** : राजस्थान प्री-एम्बेडेड ब्लॉकों की नीलामी करने वाला देश का पहला राज्य है। मिनरल ब्लॉकों की नीलामी से पहले ही आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त कर ब्लॉक की नीलामी करने की प्रक्रिया को 'प्री-एम्बेडेड क्लियरेन्स' कहा जाता है।
- **मिनरल व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम** : राजस्थान खनन विभाग द्वारा पूरे राज्य में 1 जनवरी, 2026 से 'मिनरल व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम' अनिवार्य किया जा चुका है।
- **ई-रवन्ना** : ई-रवन्ना एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली (एप) है, जिसे राजस्थान सरकार ने खनिज परिवहन में पारदर्शिता लाने, रॉयल्टी चोरी को रोकने और ओवरलोडिंग की समस्या से निपटने के लिए शुरू किया है। 31 अक्टूबर 2017 के बाद से, बजरी और जिप्सम के लिए विशेष मामलों को छोड़कर, सभी प्रकार के खनिज परिवहन के लिए मैनुअल (भौतिक) रवन्ना जारी करना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

## फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स (आर्थिक समीक्षा - 2025-26)

### राजस्थान में खनन क्षेत्र:

- राजस्थान खनिज संसाधनों के सन्दर्भ में भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है, यहाँ 81 प्रकार के खनिजों के भंडार हैं, जिनमें से 58 खनिजों का खनन किया जाता है।
- राजस्थान सीसा एवं जस्ता अयस्क, सेलेनाइट और वोलास्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है, वहीं चाँदी, कैल्साइट एवं जिप्सम के उत्पादन में देश में अग्रणी है।
- राजस्थान बॉल क्ले, फॉस्फोराइट, गेरू, स्टीटाइट, फेल्सपार और फायर क्ले के राष्ट्रीय उत्पादन में शीर्ष पर है।
- राजस्थान संगमरमर, बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट जैसे आयामी पत्थरों के साथ-साथ सीमेंट-ग्रेड और स्टील-ग्रेड चूना पत्थर का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है।

## राजस्थान खनिज नीति - 2024



### 2.0% Expansion

Increase mineral concession area to 1.0% by 2029-30 and 2.0% by 2046-47



### 70 Minerals

Expand mineral under extraction from 58 to 70 by 2046-47



### 50 Pre-Embedded

Auction 50 blocks with pre-embedded clearance by 2029-30



### 1 Crore Jobs

50 Lakh employment by 2029-30 and 1 crore by 2046-47 direct & indirect



### 8.0% GSDP

Increase mineral sector contribution to State GSDP by 5.0% in 2029-30 and 8.0% by 2046-47



### 1 Lakh Crore

Increase state's revenue from mineral sector threefold by 2029-30 and 1 lakh Cr by 2046-47

- जारी - 04 दिसंबर, 2024 को।
- राजस्थान खनिज नीति - 2024 का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं सामुदायिक कल्याण सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास के लिए राज्य के प्रचुर खनिज संसाधनों का लाभ उठाते हुए टिकाऊ, पारदर्शी और जिम्मेदार खनिज विकास को बढ़ावा देना है।

### मुख्य विशेषताएँ:

- आर्थिक विकास और निवेश: खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में इस क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना।
- रोजगार सृजन: वर्ष 2047 तक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- स्थिरता और ई.एस.जी. अनुपालन: शून्य अपशिष्ट खनन, पर्यावरण अनुकूल तकनीकों और अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना।
- प्रौद्योगिकी एकीकरण: उन्नत अन्वेषण तकनीकों, AI आधारित निगरानी और डिजिटल प्रशासन अपनाकर पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- अवैध खनन शमन: GPS- आधारित ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग और रीयल-टाइम निगरानी का उपयोग कर अवैध गतिविधियों को रोकना।

# Daily Current Affairs

Date : 20 April, 2026



## प्रमुख पहल :

- वर्ष 2047 तक खनिज निष्कर्षण को 58 से बढ़ाकर 70 तक करना।
- पूर्व-निर्धारित स्वीकृति के साथ 50 प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी।
- खनन रियायत क्षेत्र को वर्ष 2047 तक राज्य की कुल भूमि के 2 प्रतिशत तक बढ़ाना।
- स्वच्छ ऊर्जा के समर्थन में रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिजों (जैसे - लिथियम, दुर्लभ पृथ्वी तत्व) को बढ़ावा देना।
- खनिज संसाधनों में मूल्य संवर्धन और अनुसंधान हेतु एक राज्य खनन कंपनी की स्थापना करना।

## अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

### राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (RSMET)


- गठन : वर्ष 2020 में।
- उद्देश्य : राजस्थान में उपलब्ध खनिज भण्डारों की वैज्ञानिक तरीके से खोज व खनन में आधुनिक तकनीक का उपयोग, अनुसंधान, शोध, कौशल विकास व राजस्व बढ़ोतरी सहित इससे जुड़ी गतिविधियों का बेहतर संचालन और मोनेटरिंग करना।

--9--

## कायलाना झील : वर्ल्ड क्लास इको-टूरिज्म हब के रूप में विकसित

### चर्चा में क्यों?

- जोधपुर स्थित कायलाना झील को दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के विशेषज्ञों द्वारा तैयार मास्टर प्लान के तहत वर्ल्ड क्लास इको-टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।



### मुख्य बिन्दु:

- हाल ही में, राज्य सरकार ने कायलाना झील के सौंदर्यकरण को एशियन डवलपमेंट बैंक (ADB) के 5वें चरण में शामिल किया गया।
- कायलाना झील का अन्य नाम : सर प्रताप सागर झील।
- निर्माण : 1872 ई. में सर प्रताप सिंह द्वारा।
- कायलाना राजस्थान की पहली झील है जो इंदिरा गाँधी नहर परियोजना (IGNP) से जुड़ी हुई है।

--:10:--

# Daily Current Affairs

Date : 20 April, 2026



- इसी झील से जोधपुर शहर को पेयजलापूर्ति होती है।
- माचिया सफारी (मृग उद्यान) इस झील के निकट स्थित है।

**फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स (राजस्थान झील संरक्षण योजना):**

- शुरुआत : वर्ष 2001 में।
- वित्तीय सहयोग : केंद्र : राज्य :: 60 : 40

**योजना में शामिल राजस्थान की झीलें (6)**

- फतेहसागर (उदयपुर),
- पिछोला (उदयपुर),
- आनासागर (अजमेर),
- पुष्कर (अजमेर),
- नक्की झील (माउंट आबू),
- मान सागर (जयपुर)

-:11:-

## श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण)

चर्चा में क्यों?

- 20 अप्रैल, 2026 तक राजस्थान के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में '810 रसोइयों' के माध्यम से 'श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण)' का संचालन किया जा रहा है।

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना  
(ग्रामीण)

8 रुपये में

सम्मान के साथ शुद्ध व पौष्टिक भोजन

थाली में 300 ग्राम चपाती,  
100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी,  
100 ग्राम चावल/  
बाजरा खिचड़ी और अचार

RajGovOfficial

-:12:-



## मुख्य बिन्दु:

- इस योजना के तहत 1 अप्रैल, 2025 से 31, मार्च 2026 तक 2 करोड़ 40 लाख से अधिक थालियाँ परोसी जा चुकी हैं।

## योजना के बारे में:

- **प्रारंभ** : 6 जनवरी, 2024 से प्रदेश के चिह्नित ग्रामीण कस्बों में।
- योजना के माध्यम से स्थानीय रूचि के अनुसार पौष्टिक एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन किफायती दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
- **संचालन** : राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) द्वारा प्रदेश के समस्त चिह्नित ग्रामीण कस्बों में।
- **उपलब्धता** : योजना के अन्तर्गत 810 रसोईयों के माध्यम से दोपहर एवं रात्रि भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण कस्बों में प्रत्येक रसोई में प्रतिदिन अधिकतम 100 दोपहर के भोजन एवं अधिकतम 100 रात्रि भोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
- **मूल्य** : लाभार्थी से प्रति थाली ₹8 लिए जा रहे हैं तथा प्रति थाली ₹22 राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जा रहा है।
- प्रत्येक लाभार्थी को 600 ग्राम भोजन (300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जियाँ, 100 ग्राम चावल/बाजरा खिचड़ी और अचार) की थाली परोसी जा रही है।

## ✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p><b>भगवान परशुराम जयंती (राज्य स्तरीय समारोह)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>भगवान परशुराम जयंती प्रति वर्ष वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है।</li><li><b>राज्य स्तरीय समारोह</b> : राज्यपाल हरिभाऊ बागडे की अध्यक्षता में बिड़ला ऑडिटोरियम, जयपुर में।</li></ul>
2.	<p><b>सफाई सेवा मैराथन-2026 : जयपुर</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>जयपुर में 18 अप्रैल, 2026 को अब तक का सबसे बड़ा 'सफाई सेवा मैराथन-2026' आयोजित किया गया।</li><li>अभियान के तहत एक दिन में रिकॉर्ड 6000 टन कचरा उठाया गया, जो शहर के दैनिक औसत (लगभग 2000-3000 टन) से दुगुना है।</li></ul>
3.	<p><b>17 देशों के 43 प्रतिभागियों द्वारा राजस्थान विधान सभा का अवलोकन</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>18 अप्रैल, 2026 को राजस्थान विधान सभा में एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 17 देशों के 43 प्रतिभागियों ने विधान सभा की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया।</li><li>यह भ्रमण लोकसभा सचिवालय के पार्लियामेंट्री रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसिस (PRIDE) द्वारा आयोजित 37वें अंतरराष्ट्रीय विधायी मसौदा (International Legislative Drafting) प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा था।</li><li>इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में बांग्लादेश, भूटान, घाना, केन्या, श्रीलंका, तंजानिया, ज़ाम्बिया सहित 17 देशों के 43 प्रतिभागी शामिल रहे।</li></ul>

# Daily Current Affairs

Date : 20 April, 2026



4.	<p><b>डॉ. शुभब्रत मुखोपाध्याय</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>हाल ही में, जयपुर निवासी डॉ. शुभब्रत मुखोपाध्याय ने "जयपुर: एक शाही स्वप्न दृश्य" (Jaipur: A Royal Dreamscape) विषय पर एक असाधारण पेंटिंग बनाई, जिसके लिए उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया।</li><li>यह पेंटिंग ट्रेसिंग फिल्म रोल पर ऐक्रेलिक रंगों से तैयार की गई है।</li></ul>
5.	<p><b>ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल (पुरुष) चैम्पियनशिप 2025-26</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>21 से 25 अप्रैल, 2026 तक राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल (पुरुष) चैम्पियनशिप - 2025-26 का आयोजन किया गया।</li></ul>



--:15:--



## भूगोल एवं भू-विज्ञान



### हैंगिंग ग्लेशियर



#### चर्चा में क्यों?

- एक नए शोध अध्ययन ने उत्तराखंड के अलकनंदा बेसिन में 219 ऐसे हैंगिंग ग्लेशियरों की पहचान की है, जिनमें अस्थिर बर्फ की मात्रा अधिक है और हिमस्खलन उत्पन्न होने की आशंका है।



#### मुख्य बिन्दु:

#### हैंगिंग ग्लेशियर:

- हैंगिंग ग्लेशियर ऐसे हिमनद होते हैं जो घाटी के तल तक फैलने के बजाय चट्टान के किनारे या खड़ी ढलान पर समाप्त हो जाते हैं।
- **स्थानांतरण की प्रक्रिया:** घाटी के हिमनद धीरे-धीरे बहते हैं, जबकि हैंगिंग ग्लेशियर नीचे की बर्फ को मुख्यतः बर्फ के गिरने और हिमस्खलन के माध्यम से पोषित करते हैं।
- **खतरा:** ये प्राकृतिक रूप से अस्थिर होते हैं और अचानक टूटकर गिरने की घटनाएँ हो सकती हैं, जिससे हिमनद झीलों पर प्रभाव पड़ सकता है हिमनद झील प्रस्फोट जनित बाढ़ (GLOF) का खतरा या नदियों का अपवाह अवरुद्ध हो सकता है।

## आर्थिक घटनाक्रम

### भारत विश्व अर्थव्यवस्था में छठे स्थान पर

#### चर्चा में क्यों?

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार, नाममात्र GDP के संदर्भ में भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।



#### मुख्य बिन्दु:

- भारत की GDP 2026 में 4.15 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जो यूनाइटेड किंगडम और जापान से पीछे है।

#### वैश्विक जीडीपी रैंकिंग की गणना कैसे की जाती है

- IMF अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में नाममात्र GDP के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग देता है।

# Daily Current Affairs

Date : 20 April, 2026



- यह स्थानीय मुद्रा में मापी गई GDP और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले विनिमय दर पर निर्भर करता है।
- इन कारकों में किसी भी प्रकार का प्रतिकूल बदलाव रैंकिंग को प्रभावित कर सकता है, भले ही वास्तविक विकास मजबूत बना रहे।

Rank	Country	GDP (USD trillion approx)
1	United States	30.8
2	China	19.6
3	Germany	4.7
4	Japan	4.4
5	United Kingdom	4.0-4.3
6	India	3.9-4.2

## भारत की रैंकिंग में गिरावट के कारण

- **GDP अनुमानों का संशोधन:** भारत ने 2026 को नए आधार वर्ष के रूप में लेते हुए अपनी GDP श्रृंखला को संशोधित किया है।
- 2025-26 के लिए नाममात्र GDP को ₹357 लाख करोड़ से घटाकर ₹345 लाख करोड़ कर दिया गया है।
- इस संशोधन के कारण भारत की GDP डॉलर में लगभग 4.1 ट्रिलियन डॉलर से घटकर 3.9 ट्रिलियन डॉलर हो गई।
- **भारतीय रुपये का अवमूल्यन:** पिछले वर्ष में भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर के मुकाबले काफी अवमूल्यन हुआ।
- चूंकि GDP रैंकिंग की गणना डॉलर के संदर्भ में की जाती है, इसलिए मुद्रा अवमूल्यन भारत के सापेक्ष आर्थिक आकार को कम कर देता है।

--:18:--

- **विनिमय दर विषमता:** ब्रिटिश पाउंड और जापानी येन रुपये के मुकाबले मजबूत हुए, जिससे भारत और यूनाइटेड किंगडम और जापान जैसी अर्थव्यवस्थाओं के बीच का अंतर बढ़ गया।
- इसके परिणामस्वरूप, दोनों देशों ने अपनी-अपनी अर्थव्यवस्थाओं में मामूली या यहां तक कि घटती वृद्धि के बावजूद भारत को पीछे छोड़ दिया।
- **प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का निकट समूह:** संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद, अगली चार अर्थव्यवस्थाएँ लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास केंद्रित हैं। आंकड़ों या विनिमय दरों में मामूली बदलाव भी इस समूह के भीतर रैंकिंग को आसानी से बदल सकते हैं।

## रैंकिंग में बदलाव के निहितार्थ

- **आर्थिक बुनियादी बातों पर सीमित प्रभाव:** वैश्विक रैंकिंग में गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी भी संरचनात्मक कमजोरी का संकेत नहीं देती है।
- भारत की विकास गति मजबूत बनी हुई है, जैसा कि वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक GDP वृद्धि के 7.4% (घरेलू अनुमान) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वित्त वर्ष 2027 के लिए अनुमानित 6.5% में परिलक्षित होता है।
- **धारणा और वैश्विक स्थिति पर प्रभाव:** वैश्विक GDP रैंकिंग निवेशकों की भावना और अंतरराष्ट्रीय विश्वास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- निम्न रैंकिंग से आर्थिक मंदी की एक अस्थायी धारणा बन सकती है, भले ही मूलभूत कारक स्थिर हों।
- **रणनीतिक आर्थिक उपलब्धियों में देरी:** भारत का दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने का सफर पहले की अपेक्षा अधिक समय ले सकता है।
- अनुमान है कि भारत 2031 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा और इस प्रकार विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

# Daily Current Affairs

Date : 20 April, 2026



CIVIL SERVICES

GDP, current prices (Billions of U.S. dollars)	Germany	Japan	United Kingdom	India
2019	3,960	5,246	2,877	2,776
2020	3,938	5,189	2,726	2,612
2021	4,358	5,226	3,195	3,085
2022	4,204	4,448	3,193	3,250
2023	4,564	4,385	3,422	3,501
2024	4,684	4,190	3,695	3,761
2025	5,048	4,435	4,003	3,916
2026	<b>5,453</b>	<b>4,379</b>	<b>4,265</b>	<b>4,153</b>
2027	5,642	4,562	4,466	4,579
2028	5,819	4,744	4,675	5,059
2029	6,003	4,873	4,898	5,599
2030	6,178	5,002	5,148	6,173
2031	6,352	5,128	5,403	6,792

Source: IMF

## प्रमुख आर्थिक अवधारणाएँ

### सकल घरेलू उत्पाद (GDP)

- GDP किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक विशिष्ट अवधि (आमतौर पर एक तिमाही या एक वर्ष) के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है।
- वर्तमान आधार वर्ष 2022-23 है (2026 में अद्यतन किया गया; इससे पहले 2011-12 था)
- **जारीकर्ता:** राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

### नाममात्र GDP बनाम वास्तविक GDP

- नाममात्र GDP किसी देश के आर्थिक उत्पादन को वर्तमान बाजार कीमतों पर मापता है, जिससे मुद्रास्फीति के प्रभावों को शामिल किया जाता है और यह अर्थव्यवस्था के आकार का वर्तमान मूल्य के संदर्भ में आकलन करने के लिए उपयोगी होता है।

--:20:--

# Daily Current Affairs

Date : 20 April, 2026



- वास्तविक GDP उत्पादन का मूल्यांकन स्थिर आधार वर्ष की कीमतों पर करके मुद्रास्फीति के लिए समायोजन करती है, जिससे समय के साथ उत्पादन में वास्तविक वृद्धि का अधिक सटीक माप प्राप्त होता है।

## आधार वर्ष क्या है?

- आधार वर्ष एक ऐसा मानक वर्ष होता है जिसका उपयोग आर्थिक और सांख्यिकीय गणनाओं में तुलना के लिए किया जाता है।
- यह एक संदर्भ बिंदु प्रदान करता है जिसके आधार पर GDP, CPI और IIP जैसे संकेतकों के वर्तमान मूल्यों को मापा जाता है ताकि समय के साथ होने वाले वास्तविक परिवर्तनों को ट्रैक किया जा सके।

## महत्त्व:

- इससे हमें मुद्रास्फीति के प्रभाव को दूर करने और वास्तविक विकास देखने में मदद मिलती है।
- यह सुनिश्चित करता है कि डेटा अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना, उपभोग पैटर्न और कीमतों को दर्शाता है।

--:21:--

## भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था

### संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026

#### चर्चा में क्यों?

- संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पारित नहीं हो सका। यह विधेयक संविधान संशोधन के लिए आवश्यक दो-तिहाई (2/3) बहुमत प्राप्त करने में विफल रहा।



#### मुख्य बिन्दु:

- संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने में विफल होने के बाद, केंद्र सरकार ने परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक 2026 को वापस ले लिया।
- इस विधेयक का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि यह लोकसभा में 2011 की जनगणना के आधार पर दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों के प्रतिनिधित्व को कम कर सकता था।

## 131वें संविधान संशोधन विधेयक

- **लोकसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि:** वर्तमान 543 सदस्यों से बढ़ाकर 850 सदस्य (राज्यों से 815 और संघ राज्यक्षेत्रों से 35) करने का प्रस्ताव था।
- **अनुच्छेद 334A में संशोधन का प्रस्ताव:** लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण परिसीमन के तुरंत बाद लागू हो जाता।
- 106वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के माध्यम से महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- **अनुच्छेद 82 में संशोधन का प्रस्ताव:** विधेयक में अनुच्छेद 82 के तीसरे प्रावधान को हटाने का प्रस्ताव था। अनुच्छेद 82 का यह प्रावधान अनिवार्य करता है कि अगला परिसीमन अभ्यास वर्ष 2026 के बाद आयोजित पहली जनगणना के आधार पर किया जाएगा।
- संशोधन के बाद 2026-27 की जनगणना से पहले उपलब्ध जनगणना आंकड़ों का उपयोग करके परिसीमन करना संभव हो जाता।

## परिसीमन विधेयक 2026

- इसका उद्देश्य परिसीमन अधिनियम, 2002 को निरस्त करना और उसकी जगह लेना था।
- **परिसीमन आयोग:** केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करेगी, जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश करेंगे।
- इसमें निर्दिष्ट किया गया था कि परिसीमन कार्य, परिसीमन आयोग के गठन के समय नवीनतम प्रकाशित जनगणना पर आधारित होगा, जिसका अर्थ था कि 2011 की जनगणना का उपयोग किया जाता।

## संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक 2026

- इसके तहत दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर में उपर्युक्त बदलावों को लागू करने प्रस्ताव किया गया था।

## संविधान संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368 के तहत)

- **प्रारंभ:** संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की शुरुआत संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में विधेयक प्रस्तुत करके की जा सकती है।
- **विशेष बहुमत की आवश्यकता:** कुछ संशोधन विधेयकों को प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए।
- **राज्यों का अनुसमर्थन:** संघीय प्रावधानों को प्रभावित करने वाले संशोधन विधेयकों के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है।

UTKARSH

CIVIL  
SERVICES

## मनोनीत सदस्य

### चर्चा में क्यों?

- पहली बार, एक मनोनीत सदस्य को लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया है।

### मुख्य बिन्दु:

#### उपसभापति:

- संविधान के अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों के बीच से ही उपसभापति का चुनाव किया जाता है।
- जब सभापति का पद रिक्त हो या जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तब उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।

#### मनोनीत सदस्यों के बारे में

- संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत, राज्यसभा में 250 तक सदस्य हो सकते हैं। इनमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य शामिल होते हैं।
- सदस्यों का मनोनयन साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से किए जाते हैं।

#### शक्तियां और कार्य:

- वे वाद-विवाद और चर्चाओं में पूरी तरह से भाग ले सकते हैं।
- वे राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते।
- वे उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान कर सकते हैं।
- वे सीट ग्रहण करने के 6 महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं।
- अब तक कोई भी मनोनीत सदस्य मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं रहा है।

## योजनाएँ एवं नीतियाँ

### भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA)

#### चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने भारत औद्योगिक विकास योजना (BHAVYA) को अधिसूचित किया।


#### मुख्य बिन्दु:

#### BHAVYA योजना की विशेषताएं:

- **नोडल मंत्रालय:** केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के माध्यम से)।
- **उद्देश्य:** राज्यों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में 100 निवेश-तैयार 'प्लग-एंड-प्ले' औद्योगिक पार्क विकसित करना।
- प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क ऐसे तैयार और उपयोग योग्य विनिर्माण स्थल होते हैं, जहां पहले से सड़क, बिजली, पानी जैसी अवसंरचनाएं और आवश्यक मंजूरियां उपलब्ध होती हैं, जिससे उद्योग तुरंत काम शुरू कर सकते हैं।
- **योजना अवधि:** छह वर्ष (2026-27 से 2031-32) के लिए।

#### कार्यान्वयन का तरीका:

- **प्रायोजक एजेंसी:** राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार या केंद्रीय PSU।



# Daily Current Affairs

Date : 20 April, 2026



- **विशेष प्रयोजन वाहन (SPV):** उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के 'राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (NICDIT)' और राज्य नोडल एजेंसी द्वारा सयुक्त रूप से गठित होगा।
- SPV के पास भव्य योजना के तहत निर्मित परिसंपत्तियों का स्वामित्व होगा। साथ ही, वह विकसित किए जाने वाले औद्योगिक पार्क के नियोजन, निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा।
- **वित्तीय सहायता:** प्रत्येक परियोजना के लिए प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। निजी क्षेत्र द्वारा विकसित पार्क के लिए 50 लाख रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी। यह वित्तीय सहायता निम्नलिखित के लिए प्रदान की जाएगी:
- **मुख्य अवसंरचना हेतु:** सड़कें, उपयोगिताएं (यूटिलिटीज), जल निकासी, ICT।
- **मूल्य वर्धित अवसंरचना हेतु:** फैक्ट्री शेड, लैब, वेयरहाउसिंग।
- **सामाजिक अवसंरचना हेतु:** श्रमिक आवास, अन्य सुविधाएं।
- **अतिरिक्त सहायता:** लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए बाहरी अवसंरचना (कनेक्टिविटी और मौजूदा नेटवर्क के साथ एकीकरण) के लिए परियोजना लागत की 25% तक वित्तीय सहायता दी जाएगी।

--:27:--

## नदी बेसिन प्रबंधन (RBM) योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया

### चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग की अवधि (2026-27 से 2030-31) के दौरान इस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। यह योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

### मुख्य बिन्दु:

#### नदी बेसिन प्रबंधन (RBM) योजना

- **शुरुआत:** इसे 2014 में केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में शुरू।
- **प्रशासन:** केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा प्रशासित।
- **भौगोलिक दायरा और प्राथमिकता वाले क्षेत्र:** रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और जल-समृद्ध लेकिन कम विकसित क्षेत्र, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र, और जम्मू-कश्मीर/ लद्दाख में सिंधु नदी बेसिन।
- उपर्युक्त बेसिनों (नदी घाटियों) को राष्ट्रीय जल सुरक्षा, सीमा पार जल प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण और पारिस्थितिकी संधारणीयता के महत्त्व के कारण प्राथमिकता दी गई है।
- **संस्थागत संरचना:** योजना के निम्नलिखित दो व्यापक घटक हैं:
- **ब्रह्मपुत्र बोर्ड:** पूर्वोत्तर क्षेत्र में बेसिन-स्तरीय योजना और बाढ़ प्रबंधन के लिए।
- **जल संसाधन विकास योजना की जांच (IWRDS):** इसे निम्नलिखित के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है:
- **केंद्रीय जल आयोग (CWC):** यह सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन जैसी जल संसाधन परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण, जांच और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करता है।
- **राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA):** यह राष्ट्रीय स्तर पर जल संसाधन योजना पर ध्यान केंद्रित करती है, विशेष रूप से नदी जोड़ो परियोजना के तहत।

## निर्यात सुविधा के लिए लचीलापन और लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप (RELIEF)

### चर्चा में क्यों?

- पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने RELIEF योजना के दायरे का विस्तार किया है।



### मुख्य बिन्दु:

#### RELIEF योजना:

- यह निर्यात प्रोत्साहन मिशन (EPM) के तहत एक समयबद्ध उपाय है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को उच्च माल ढुलाई लागत और बढ़ते बीमा प्रीमियम से निपटने में मदद करना है। इसके साथ ही, यह युद्ध से संबंधित निर्यात जोखिमों में सहायता प्रदान करती है।

# Daily Current Affairs


Date : 20 April, 2026



- **नोडल और कार्यान्वयन एजेंसी:** ECGC लिमिटेड (पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड), जो पूर्णतः भारत सरकार (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) के स्वामित्व में है।

## मुख्य विशेषताएं:

- **MSME-केंद्रित सहायता:** उच्च लॉजिस्टिक्स लागत और अधिभार के लिए प्रतिपूर्ति सहायता सुनिश्चित करना।
- **निर्यात चक्र कवरेज:** शिपमेंट योजना और बीमा आदि के लिए एंड-टू-एंड सहायता प्रदान करना।



--:30:--

## अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

### स्कारबोरो शोल

#### चर्चा में क्यों?

- चीन ने विवादित दक्षिण चीन सागर के स्कारबोरो शोल को अवरुद्ध करने के लिए जहाजों और बाधाओं को तैनात किया है।



# Daily Current Affairs

Date : 20 April, 2026



**मुख्य बिन्दु:**

**स्कारबोरो शोल:**

- यह दक्षिण चीन सागर में एक विवादित एटोल है। इस पर चीन और फिलीपींस, दोनों सम्प्रभुत्व का दावा करते हैं।
- **रणनीतिक महत्व:** यह प्रमुख समुद्री मार्गों पर स्थित है। यह समृद्ध मत्स्यन क्षेत्र और कई अन्य संसाधनों से युक्त है।
- **दक्षिण चीन सागर में अन्य विवादित द्वीप:** पार्सल द्वीप, स्प्रेटली द्वीप आदि।



-:32:-

## पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

### फाइटोरिमेडिएशन

#### चर्चा में क्यों?

- अहमदाबाद का कांकरिया कोचिंग डिपो भारत की पहली "जल-तटस्थ" (वॉटर न्यूट्रल) रेलवे फैसिलिटी बन गया है।



#### मुख्य बिन्दु:

- यह डिपो फाइटोरिमेडिएशन तकनीक का उपयोग करके अपने अपशिष्ट जल का उपचार और पुनः उपयोग करके जल का संरक्षण करता है।

## फाइटरिमेडिएशन:

- यह एक बायोरिमेडिएशन प्रक्रिया है, जो पौधों, सूक्ष्म-शैवाल और समुद्री खरपतवार जैसे जीवों का उपयोग करती है। यह तकनीक मृदा से विषाक्त भारी धातुओं को हटाने में सक्षम है।
- मृदा से विषाक्तता को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य तकनीकों की तुलना में यह अधिक संधारणीय और पर्यावरण-अनुकूल तकनीक है।
- उदाहरण: जलकुंभी, डकवीड और वॉटर लेट्यूस।

## फाइटरिमेडिएशन तकनीकें:

- स्वस्थाने (इन-सिटू): जल का उपचार सीधे संदूषित स्थल पर होता है, जैसे: बायोवेंटिंग और बायोऑगमेंटेशन।
- बाह्य-स्थान (एक्स-सिटू): संदूषित सामग्री को निष्कासित किया जाता है या दूसरी जगह उपचार के लिए पंप किया जाता है, जैसे: लैंडफार्मिंग और बायोरिएक्टर।

## राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य

### चर्चा में क्यों?


- उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य में अवैध रेत खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।

### मुख्य बिन्दु:

- उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों को सभी मार्गों पर CCTV कैमरे लगाने और खनन गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों और मशीनरी पर GPS डिवाइस लगाने का निर्देश दिया है।

### भारत में अवैध रेत खनन जारी रहने के कारण

- तेजी से बढ़ता निर्माण क्षेत्र
- नदी की रेत को प्राथमिकता (M-सैंड जैसे आधुनिक विकल्पों की तुलना में)
- **विनियमन संबंधी मुद्दे:** खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत रेत लघु खनिज है। इसलिए इसका विनियमन राज्यों के पास है, जिससे पूरे देश में एक समान नियम नहीं हैं।
- दूरदराज के क्षेत्रों में निगरानी की चुनौतियां
- राजनीतिक-आपराधिक सांठगांठ और अत्यधिक संगठित रेत माफिया आदि।



**भारत में अनियंत्रित रेत खनन के दुष्प्रभाव:**

**पर्यावरण पर प्रभाव:**

- **नदी आकारिकी:** अत्यधिक रेत खनन नदियों के प्राकृतिक मार्ग को बदल देता है।
- जल की गुणवत्ता में गिरावट
- जैव विविधता और पर्यावास को नुकसान
- नदियों की बाढ़ नियंत्रण क्षमता में कमी
- सार्वजनिक अवसंरचनाओं को नुकसान

**राजस्व की हानि**


**राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य**

- **स्थापना:** यह 1979 में स्थापित एक संरक्षित क्षेत्र है।
- **विस्तार:** यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रि-बिंदु के पास चंबल नदी में स्थित है।
- **प्राप्त महत्वपूर्ण प्रजातियां:** घड़ियाल (क्रिटिकली एंडेंजर्ड), मगरमच्छ, रेड-क्राउंड रूफड टर्टल और गंगा नदी डॉल्फिन।

## जैव-विविधता अधिनियम (BDA), 2002

### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में आयोजित अपनी 77वीं बैठक में, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए नए फ्रेमवर्क को मंजूरी दी।



### मुख्य बिन्दु:

- इसमें पहुँच और लाभ-साझाकरण (Access and Benefit Sharing: ABS) फंड के उपयोग की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और नामित रिपॉजिटरी के लिए संशोधित दिशानिर्देश शामिल हैं।

### नया जैव-विविधता फ्रेमवर्क

### ABS फंड का उपयोग:

### पहचान योग्य स्रोत:

- जब संसाधन पहचान योग्य संस्थानों या रिपॉजिटरी से प्राप्त किए जाते हैं, तो ABS फंड का 25-40% हिस्सा उन्हें दिया जाएगा।

--:37:--

- शेष 60-75% हिस्सा राज्य जैव विविधता बोर्डों और संघ राज्य क्षेत्रों की जैव विविधता परिषदों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ साझा किया जाएगा।
- **अज्ञात स्रोत:** यदि जैव संसाधनों तक पहुंच मध्यवर्तियों या व्यापारियों के माध्यम से प्राप्त की जाती है, तो ABS फंड का उपयोग सीधे जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन के लिए किया जाएगा।
- **संशोधित रिपॉजिटरी दिशानिर्देश:** इसमें संसाधनों की पहचान और निगरानी के लिए डिजिटल रिकॉर्ड रखने को बढ़ावा देने जैसे प्रावधान शामिल हैं।  
**पहुँच और लाभ-साझाकरण (ABS) क्या है?**
- ABS से तात्पर्य है कि आनुवंशिक संसाधनों तक कैसे पहुँचा जा सकता है और उनके उपयोग से होने वाले लाभों को उन संसाधनों का उपयोग करने वाले समुदायों/देशों (उपयोगकर्ता) और संसाधनों को प्रदान करने वालों (प्रदाता) के बीच कैसे साझा किया जाता है।
- **ABS फ्रेमवर्क:** यह जैव विविधता अभिसमय (CBD) के अंतर्गत विनियमित होता है।
- बॉन दिशानिर्देश और नागोया प्रोटोकॉल (2010) 'पहुँच और लाभ-साझाकरण (ABS)' से संबंधित हैं।
- भारत में यह जैव विविधता अधिनियम, 2002 के साथ-साथ पहुँच और लाभ साझाकरण (ABS) विनियम, 2025 के तहत विनियमित होता है।